न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 पंचायत धर सरणू चिमनजी

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अमराराम पुत्र राणाराम जाति जाट निवासी सरस्वती नगर सरणू चिमनजी तहसील एवं जिला बाड़मेर।		1.रेखाराम पुत्र अमराराम 2. अचलाराम पुत्र अमराराम 3. श्रीमती इन्द्रा पत्नि अमराराम जाति राईका निवासी खरंटीयां तहसील सिणधरी 4. चूनाराम पुत्र सुरताराम 5. रायमल पुत्र लिखमाराम 6. पुरखाराम पुत्र जेताराम 7. राणाराम पुत्र जेताराम जातियान जाट निवासीयान सरस्वती नगर सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर 9. तहसलीदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या–18/2020

दिनांक–06.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरस्वती नगर, पटवार हल्का सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाडमेंर के खेत खसरा नम्बर 336/2 रकबा 20.16 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर
दिनांक–06/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6535-6538

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अमराराम पुत्र राणाराम, जाति जाट निवासी सरस्वती नगर, सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रेखाराम पुत्र अमराराम वगैराह जाति जाट निवासी सरस्वती नगर, सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर